न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 229/2021(2021/449)

भंवरलाल पुत्र लादू कुमावत निवासी नयागांव कुमावतों का तहसील केकडी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर
2. गोविन्दा पुत्र धन्ना जाति कुमावत नयागांव कुमावतों का तह.केकडी जिला अजमेर

--- अप्रार्थीगण

3. कमला पत्नि कालू
4. कल्याण पुत्र छोगा
5. राधा पत्नि अम्बालाल

समस्त जाति कुमावत निवासीगण नयागावं कुमावतों का तह. केकडी जिला अजमेर

---प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 25.11:2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प मानखण्ड तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। वाद वर्णित आराजीयात वाके ग्राम नयागावं (बघेरा) की जमाबन्दी संवत 2072–75

खाता स. नया– पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
150–157	1377	0.57	बारानी 2

राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजीयात में प्रार्थी व प्रफॉर्मा अप्रार्थी स. 3 लगायत 5 की सयुक्त खातेदारी की आराजीयात है व प्रतिवादी स. 2 पडोसी खातेदार है। संयुक्त खातेदार मौके पर अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी /प्रफॉर्मा अप्रर्थीगण/अप्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 19.6.2016 को तहसीलदार केकडी के आदेश से करवाया गया परन्तु बार–बार सीमाचिन्हो को मिटा देते है। व प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने व फसल काश्त करने पर उतारू होते है मना करने पर लडाई झगडे करते है। इस कारण पत्थरगढी करावया जाना आवश्यक हो गया ताकि भविष्य में विवाद नहीं हो। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 08.10.2021 को उत्पन्न हुआ एंव अब प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा हैं अतः आराजीयात का प्रार्थना पत्र अनुसार पत्थरगढी करवायी जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एंव पेरोकार सरकार उपस्थित । उन्हे सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराया तथा आराजी की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया । अपार्थी स. 1 पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय की आदेशिका पर अंकित किया है कि खातेदार की खातेदारी कब्जे की पत्थगढी करवाने में राजहित अप्रभावित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम नयागांव (बघेरा) की जमाबन्दी संवत 2072–76 के खाता संख्या नया पुराना 150–157 खसरा नम्बर 1377 एकबा 0.57 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 25.11.2021 को केम्प मानखण्ड मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner